जन्मदिन मुबारक

अब्दुल रहमान पुत्र शाकिर खान (जयपुर)

द्रोण शर्मा पुत्र राजेश शर्मा (जयपुर)

पंजाब केसरी सदा आपके साथ

जन्मदिन | विवाह | वर्षगांठ

बेटे/बेटियां के जन्मदिन | नव-विवाहित जोड़े की | अपने विवाह की वर्षगांठ की

फोटो हमें भेजें। प्रकाशन निःशुल्क होगा

newsjpr@punjabkesari.net.in

whatsapp 9803164436

नोट: मेल में नाम, माता-पिता का नाम, पता और मोबाइल नम्बर जरूर लिखें।

प्रेम प्रसंग विवाद के बाद युवक ने मामा के घर लगाया फंदा

टोंक, 26 जून (भगवान सहाय शर्मा): जगदीश नगर क्षेत्र में एक युवक द्वारा मामा के घर में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान जयपुर निवासी मनोज नामा (29) के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मनोज नामा सांगानेर का निवासी था और कुछ दिन पहले ही अपने मामा के घर टोंक आया था। मृतक के भाई पंकज नामा ने आरोप लगाया कि मनोज का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती की सगाई कहीं और हो जाने के बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। परिजनों के अनुसार इसी विवाद के बाद युवक काफी परेशान रहने लगा था और मानसिक दबाव में था।

परिजनों का यह भी आरोप है कि विवाद के बाद युवती ने कुछ लोगों के माध्यम से उसे डराने-धमकाने की कोशिश की थी, जिससे वह भयभीत हो गया था। इसी डर के कारण वह टोंक स्थित अपने मामा के घर आ गया था। घटना वाले दिन सुबह कमरे से बाहर नहीं आया तो मामा तुलसीराम ने उसे आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से देखा तो वह कमरे में पंखे से साड़ी के फंदे पर लटका मिला। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

फर्जी पट्टा प्रकरण : पूर्व सरपंच पर विभागीय जांच शुरू

ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

भीलवाड़ा, 26 जून (मुकेश राठी): ग्राम पंचायत मांडल में कथित अनियमित पट्टा वितरण के मामले में जिला परिषद ने सख्त कार्रवाई करते हुए, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी कजोड़मल गुर्जर को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पंचायत समिति बिजौलिया निर्धारित किया गया है। वहीं तत्कालीन सरपंच एवं प्रशासक रहे संजय भंडिया के विरुद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 38 के तहत विभागीय जांच शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 25 जून को संभागीय आयुक्त, अजमेर को पत्र भेजकर पूर्व सरपंच के खिलाफ विभागीय जांच की अनुशंसा की है। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत मांडल में नियमों के विपरीत पट्टे जारी किए जाने और पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। शिकायत मिलने के बाद गठित जांच समिति ने पूरे मामले की पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट जिला परिषद को सौंपी। रिपोर्ट में सामने आया कि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए विभिन्न स्थानों पर पट्टे जारी किए गए। जांच समिति ने तत्कालीन प्रशासक संजय भंडिया, संबंधित वार्ड पंचों तथा ग्राम विकास अधिकारी कजोड़मल गुर्जर को प्रथम दृष्टया दोषी माना है।

नियमों के अनुसार किसी भी पट्टे के आवंटन से पहले स्थल निरीक्षण, भूमि अभिलेखों का सत्यापन, पात्रता की जांच और अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होता है। जांच रिपोर्ट में इन प्रक्रियाओं की अनदेखी किए जाने का उल्लेख किया गया है, जिससे राजकोष को आर्थिक नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। जिला परिषद ने जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्व सरपंच के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव संभागीय आयुक्त को भेज दिया है। अब इस मामले में संभागीय स्तर पर विभागीय जांच आगे बढ़ेगी। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पंचायत की बेशकीमती जमीनों के पट्टे भी बहुत कम राशि पर जारी करने का आरोप

जांच में यह भी सामने आया कि पंचायत क्षेत्र की कई बेशकीमती जमीनों के पट्टे अत्यंत कम राशि पर जारी कर दिए गए। कुछ मामलों में मात्र 100 रुपये से लेकर 1,150 रुपये तक की राशि लेकर पट्टे जारी किए जाने के आरोप हैं। आरोप यह भी है कि कई पट्टे निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए बिना ही जारी कर दिए गए। कुछ मामलों में वार्ड पंचों द्वारा अपने रिश्तेदारों और परिचितों को लाभ पहुंचाने हेतु बिना स्थल योजना और आवश्यक अभिलेखीय जांच के पट्टे जारी करने की बात भी सामने आई है।

बाल विवाह के बाद नाबालिग से रेप

बालिग होने पर पीड़िता ने रिश्ता मानने से किया इनकार, तो मिली अपहरण की धमकी

कोर्ट के आदेश पर पति सहित ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज

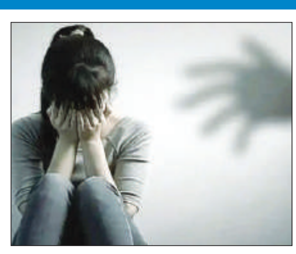

अजमेर, 26 जून (ब्यूरो): अजमेर जिले में बाल विवाह और एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। स्थानीय पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट के कड़े रुख और आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी पति व अन्य के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बालिग होने पर किया विरोध, तो दी अपहरण की धमकी: समय बीतने के बाद जब पीड़िता बालिग हुई, तो उसने इस बाल विवाह को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से ही आरोपी पक्ष लगातार उस पर ससुराल चलने का सामाजिक और मानसिक दबाव बना रहा था। पीड़िता ने बताया कि जनवरी 2026 में आरोपी पक्ष के लोग जबरन उसके घर में घुस आए और उसे साथ न भेजने पर उसका अपहरण करने की खुली धमकी दी। इस घटना से बुरी तरह घबराकर पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई।

कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मामला : पीड़िता और उसकी मां ने सबसे पहले स्थानीय पुलिस थाने में जाकर आपबीती सुनाई और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पुलिस की इस बेरुखी के बाद पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आई पुलिस ने अब पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म, मारपीट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की कमान संभाल ली है।

ससुराल में बंधक बनाकर दुष्कर्म, मारने की धमकी

पीड़िता ने बताया कि शादी के अगले ही साल यानी 2020 में एक पारिवारिक कार्यक्रम के बहाने उसे ससुराल में रोक लिया। आरोप है कि वहां उसके पति ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया, तो किसी को भी यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद साल 2024 में अन्य पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान पीड़िता जब दोबारा वहां गई, तो उसे फिर से कमरे में बंद कर दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ दोबारा दुष्कर्म किया और विरोध करने पर बेरहमी से मारपीट की गई।

आर्थिक मजबूरी का फायदा उठा रचाया बाल विवाह

पीड़िता ने कोर्ट में पेश किए गए परिवाद में बताया कि साल 2019 में जब उसकी उम्र महज 12 साल थी, तब उसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर आरोपियों ने उसके परिजन को बहला-फुसला कर आश्वासन दिया था कि लड़की के बालिग होने तक उसे ससुराल नहीं भेजा जाएगा और बाल विवाह करवा दिया।

अमूल की तानाशाही के खिलाफ अजमेर डेयरी के अध्यक्ष चौधरी की हुंकार

अजमेर, 26 जून (ब्यूरो): जमेर डेयरी के 161वें संचालक मंडल की बैठक में दुग्ध उत्पादकों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के माध्यम से अमूल के राजस्थान में प्रवेश के प्रयास का कड़ा विरोध करते हुए जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय जाने और दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही डेयरी ने पिछले वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करने की जानकारी भी दी। अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि राजस्थान के सहकारी दुग्ध ढांचे को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उनका आरोप था कि अमूल किसानों को अधिक मूल्य का लालच देकर प्रदेश की सहकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार और सहकारिता विभाग अमूल को अनुमति देते हैं तो डेयरी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। बैठक में दुग्ध उत्पादकों के हित में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

नाबालिग को भगाने व दुष्कर्म का आरोपी धरा

पुलिस गिरफ्त में आरोपी।

पीसांगन, 26 जून (ब्यूरो): महिला व नाबालिगों के खिलाफ हो रहे गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अजमेर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में पीसांगन थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार 14 मई 2026 को पीसांगन थाने में परिवादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने कड़ियां जोड़ते हुए संदिग्ध मोबाइल नंबरों की सीडीआर खंगाली और घटनास्थल के आस पास के सीसीटीवी फुटेज चैक किए। आखिरकार मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस टीम ने नाबालिग पीड़िता को दस्तयाब कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बबलू पुत्र राजू भील निवासी मकरेड़ा थाना मांगलियावास के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा जेल में भेज दिया गया।

राजस्थान ग्रामीण बैंक RAJASTHAN GRAMIN BANK Scheduled Bank Owned by Government

राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा:- नागौरी गार्डन, जिला भीलवाड़ा

परिशिष्ट- IV (नियम 8(i) कब्जे की सूचना (स्थावर सम्पत्ति के लिए)

यत: (Whereas) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्यांक 54) के अन्तर्गत एवं धारा 13(12) सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान ग्रामीण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने डिमाण्ड नोटिस दिनांक 20/04/2026 को जारी किया, जिसमें (ऋणी) श्रीमती नजमा मंसूरी पत्नी श्री अब्दुल रज्जाक मंसूरी, श्री मोहम्मद आसिफ मंसूरी पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक मंसूरी, श्री मोहम्मद इस्माइल पुत्र श्री मोहम्मद आसिफ मंसूरी, श्रीमती फरहाना बानो पत्नी श्री मोहम्मद इस्माइल को जारी किया, जिसमें ऋणी को नोटिस में उल्लेखित राशि रु. 30,74,860/- दिनांक 20/04/2026 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे का भुगतान, इस नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर, करने के लिये कहा गया था। ऋणीयों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा ऋणीयों और आम लोगों को यह नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति का कब्जा वर्ष 2026 माह जून की तारीख 23 से प्राप्त कर लिया है।

ऋणीयों को विशेष रूप से एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति बाबत कोई संव्यवहार नही करे और इस सम्पत्ति के बाबत किया गया कोई भी संव्यवहार रू. 30,74,860/- दिनांक 20/04/2026 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे के राजस्थान ग्रामीण बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा। ऋणीयों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते है श्रीमती नजमा मंसूरी पत्नी श्री अब्दुल रज्जाक मंसूरी की प्लॉट संख्या बी-430/7 (आराजी नं. 1168/1) शिव नगर, ग्राम मलान, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.) स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1000.00 वर्गफीट), पंजीकरण के भीतर उप-जिला भीलवाड़ा और जिला भीलवाड़ा (राज.); चतुर्थः सीमाए:- पूर्व में- प्लॉट नंबर बी-430/8, पश्चिम में- प्लॉट नंबर बी-430/6, उत्तर में- रोड़, दक्षिण में- अन्य प्लॉट।

दिनांक: 23.06.2026, स्थान: भीलवाड़ा (राज.) — प्राधिकृत अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण बैंक

क्विक रीड

विवाह सम्मेलन में 23 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे

टोंक, (भगवान सहाय शर्मा): डिग्गी में आयोजित 23वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में 23 जोड़े वैदिक रीति-रिवाजों के साथ परिणय सूत्र में बंधे। जाट समाज सामूहिक विवाह आयोजन समिति के तत्वावधान में हुए इस आयोजन ने सादगीपूर्ण विवाह और फिजूलखर्ची रोकने का संदेश दिया। सुबह शोभायात्रा निकाली गई जो कल्याण धणी मंदिर पहुंची, जहां दर्शन के बाद पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न हुआ। सभी जोड़ों ने सात फेरे लेकर जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया। संतों, जनप्रतिनिधियों और समाजबंधुओं ने नवदंपत्तियों को आशीर्वाद दिया।

अवैध बजरी परिवहन करने पर 2 ट्रैक्टर-ट्रोली जप्त

टोंक, (भगवान सहाय शर्मा): पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में अवैध बजरी खनन/परिवहन के विरूद्ध टोंक पुलिस द्वारा लगातार ताबडतोड़ कार्यवाही जारी दौराने गश्त ईलाका थाना घाड़ के ग्राम जलसीना व जरेली से अवैध बजरी परिवहन करने पर 2 ट्रेक्टर-ट्रोली जप्त व 2 प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी ट्रेक्टर चालक सुनिल सैनी को गिरफतार किया गया।

देवनारायण मंदिर से अनाज चोरी का आरोपी दबोचा

भीलवाड़ा, (मुकेश राठी): पारोली थाना पुलिस ने आगरिया गांव स्थित देवनारायण भगवान मंदिर की सराय से अनाज चोरी के मामले मुख्य आरोपी छोटू लाल गुर्जर को को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 525 किलो चोरी का अनाज और वारदात में इस्तेमाल की गई ऑल्टो कार बरामद की है। थाना प्रभारी ने बताया कि 20 जून की रात मंदिर की सराय का ताला तोड़कर गेहूं और मक्के के 11 कट्टे, करीब 600 किलो अनाज चोरी किया गया था।

वीडियो बनाने को लेकर विवाद, पड़ोसी ने लाठी से किया हमला, एक घायल

भीलवाड़ा, 26 जून (मुकेश राठी): शहर के विजय सिंह पथिक नगर क्षेत्र में घर के बाहर वीडियो बनाने को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ित गोपाल माली ने सुभाष नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

उन्होंने बताया कि वह दोपहर में घर पहुंचे थे, इसी दौरान उन्होंने देखा कि पड़ोसी उनके घर और बालकनी की ओर वीडियो बना रहा था, जबकि परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद थे। इस पर उन्होंने वीडियो बनाने का कारण पूछा और विरोध जताया।

आरोप है कि विरोध करने पर पड़ोसी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और कुछ ही देर में उसके परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर आ गए। इसके बाद लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया, जिससे गोपाल माली घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित का कहना है कि वह पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में इस हमले से उनकी हालत और बिगड़ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

'सब्जी मंडी में व्यवस्थाएं हों बेहतर, लापरवाही बर्दाश्त नहीं'

अजमेर, 26 जून (ब्यूरो): ब्यावर रोड सब्जी मंडी एवं फल मंडी का अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने निरीक्षण कर चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीसी सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंडी परिसर में फैली गंदगी और अव्यवस्थाओं पर विधायक ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने मंडी में वर्षों से पड़े पुराने एसटीडी बूथ को हटाने, प्रवेश द्वार पर ग्रीन साइन बोर्ड लगाने और पार्किंग व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।

तलवारों से खेला बड़ा हाईदौस, कर्बला का मंजर किया पेश

डोले शरीफ की निकली सवारी, ताजिए हुए सैराब

अजमेर : अंदरकोट हथाई से डोले शरीफ की सवारी निकालते हुए मुस्लिम धर्मावलंबी।

अजमेर, 26 जून (ब्यूरो): मोहर्रम की दसवीं तारीख पर शुक्रवार को शहर में हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की याद में गम और अकीदत का माहौल रहा।

तारागढ़ पर शिया समुदाय ने मातम करते हुए खिराज-ए-अकीदत पेश की, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदरकोट क्षेत्र में पारंपरिक बड़ा हाईदौस खेला गया। बाद में गमगीन माहौल में ताजियों को झालरों और जलाशयों में सैराब किया गया। मोहर्रम के अवसर पर अधिकांश मुस्लिम घरों में चूल्हे नहीं जले और घोसी समाज ने परंपरा के अनुसार दूध का विक्रय नहीं किया। झांझ की धुन और तोप दागने की रस्म के बीच तलवारों के साथ पारंपरिक प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कई लोगों को मामूली चोटें आईं, जिनका मौके पर मौजूद चिकित्सा दल ने उपचार किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। तारागढ़ पर शिया समुदाय के लोगों ने मातम कर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। कई लोगों ने रोजा रखा और शाम को परंपरानुसार ताजियों को सैराब किया गया। दरगाह क्षेत्र से ताजिया शरीफ और जनाजा की सवारी विभिन्न मार्गों से होकर निकली तथा शनिवार तड़के ताजिया को झालरे में सैराब किया गया।

उधर, हटूंडी गांव में भी यौमे आशूरा पर ताजिए की सवारी निकाली गई। इमामबाड़े से शुरू हुई सवारी हजरत गफूर अलीशाह दरगाह स्थित बावड़ी पहुंची, जहां ताजिए को सैराब किया गया। मार्ग में जगह-जगह लंगर लगाए गए। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए।

HDFC BANK We understand your world

प्रधान कार्यालय: एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लॉवर पारेल (पश्चिम), मुम्बई- 400013 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड; विशेष संचालन विभाग, प्रथम तल, 58, 59 और 60, जसवंत नगर, खातीपुरा, जयपुर- 302012, राजस्थान

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक द्वारा बंधक अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना। आमजन को तथा ऋणीयों/बंधककर्ताओं/जमानतदारों को विशेषतया यह सूचना दी जाती है कि अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी किए गए मांग सूचना के अनुसार एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया। बैंक के बकाया नीचे वर्णित ब्याज सहित का भुगतान करने में विफल होने पर वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ "जहां है, जैसी है, बिना संसाधनों" के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 8 सपठित नियम 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बकायों के भुगतान हेतु प्रस्ताव रखा है। नीचे उल्लेखित संपत्ति में लीजहोल्ड अधिकारों की बिक्री वेब पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ई-नीलामी के माध्यम से की जाएगी।

अचल संपत्तियों का विवरण/खाता/राशि/ईएमडी/आदि का विवरण

शाखा एवं खाते का नाम	बंधककर्ता एवं जमानतदारों के नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना की दिनांक	निरीक्षण की दिनांक एवं समयः	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की दिनांक/समय	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नंबर/ई-मेल आईडी
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, टोंक रोड, जयपुर। मैसर्स श्री सांई कृपा केमीकल्स खाता संख्या: 26708970000019	श्री विजय लखोटिया पुत्र श्री राम गोपाल लखोटिया; श्रीमती नर्बदा देवी पत्नी श्री किशन लाल	श्रीमती नर्बदा देवी पत्नी श्री किशन लाल के नाम से सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें भूमि एवं भवन, स्ट्रक्चर्स, इरेक्शन्स, इंस्टालेशन्स आदि जो प्लॉट नंबर 49, 50 एवं 51, खसरा नंबर 1923, बोरून्दा, बिलाड़ा, जिला जोधपुर (राजस्थान) में स्थित है। क्षेत्रफल 416.67 वर्गगज है। सीमाएं:- पूर्वः अन्य भूमि भवन सिंह, पश्चिमः अन्य भूमि मेहरा राम, उत्तरः सड़क, दक्षिणः अन्य भूमि भीका राम।	रू. 2,00,06,261.55 (रू. दो करोड़ छः हजार दो सौ इकसठ एवं पचपन पैसे मात्र) 02.09.2022 दिनांक 25.08.2022 तक बकाया+ भविष्य का ब्याज, लागते, खर्चे पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक।	08-07-2026 प्रातः 10:00 से सांय 05:00 बजे	रू. 73,00,000/- (रू. तहेत्तर लाख मात्र) रू. 7,30,000/- (रू. सात लाख तीस हजार मात्र) रू. 1,00,000/- (रू. एक लाख मात्र)	17-07-2026 प्रातः 10:00 से दोपहर 03:00 बजे	14-07-2026 सायं 04:00 बजे तक	श्री कैलाश शर्मा, मो. 9214089244 kailash.sharma1@hdfc.bank.in
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, अजमेर मैसर्स स्विफ्ट प्रोजेक्ट्स जरिये साझेदार खाता संख्या: 50200019605355	गारंटर और बंधककर्ता: श्री प्रेम नारायण गर्ग मृतक के बाद से जरिये कानूनी वारिसों; साझेदार/गारंटर:- सुश्री बीना गर्ग, श्री पराग गर्ग (स्वर्गीय श्री प्रेम नारायण गर्ग के कानूनी वारिस के रूप में), श्री सोनू गर्ग	प्रेम नारायण गर्ग (जमानतदार एवं बंधककर्ता) के नाम से वाणिज्यिक सम्पत्ति भूतल पर जो एएमसी नं. 1/283 व 427/7 का हिस्सा, नया बाजार, अजमेर, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित जिसका क्षेत्रफल 51.46 वर्गगज है। सीमाएं:- पूर्वः हरीलाल नथमल की दुकान, पश्चिमः श्री रामविलास एवं श्री सुवालाल की दुकान, उत्तरः रोड़, दक्षिणः लदाओं की सम्पत्ति।	रू. 5,03,45,569.77 (रू. पाँच करोड़ तीन लाख पैंतालीस हजार पाँच सौ उनहत्तर एवं सतहत्तर पैसे मात्र) 28.08.2019 दिनांक 31.07.2019 तक बकाया+ भविष्य का ब्याज, लागते, खर्चे पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक	08-07-2026 प्रातः 10:00 से सांय 05:00 बजे	रू. 1,90,00,000/- (रू. एक करोड़ नब्बे लाख मात्र) रू. 19,00,000/- (रू. उन्नीस लाख मात्र) रू. 1,00,000/- (रू. एक लाख मात्र)	15-07-2026 प्रातः 10:00 से दोपहर 03:00 बजे	13-07-2026 सायं 04:00 बजे तक	श्री कैलाश शर्मा, मो. 9214089244 kailash.sharma1@hdfc.bank.in
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, नीम का थाना, सीकर मैसर्स श्री इलेक्ट्रॉनिक्स जरिये प्रोपराइटर श्री श्रीराम वर्मा पुत्र श्री साधु राम खाता संख्या: 26008970000103/8209133	श्री श्रीराम वर्मा पुत्र श्री साधु राम (प्रोपराइटर और गारंटर); श्री राहुल वर्मा पुत्र श्री श्रीराम वर्मा (गारंटर)	1. प्लॉट नं. 57, राम नगर कॉलोनी, नीम का थाना, माता का मंदिर वाली रोड के पास, सीकर-332001 में स्थित जिसका क्षेत्रफल 337.33 वर्गगज जो श्री श्रीराम वर्मा पुत्र श्री साधु राम के नाम से है। सीमाएं:- पूर्वः प्लॉट नं. 2, पश्चिमः सड़क, उत्तरः प्लॉट नं. 58, दक्षिणः प्लॉट नं. 56	रू. 2,34,22,614/- (रू. दो करोड़ चौंतीस लाख बाईस हजार छः सौ चौदह मात्र) 02.09.2022 दिनांक 16.08.2022 तक बकाया+ भविष्य का ब्याज, लागते, खर्चे पूर्ण भुगतान होने की तिथि तक	08-07-2026 प्रातः 10:00 से सांय 04:00 बजे	रू. 1,35,00,000/- (रू. एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र) रू. 13,50,000/- (रू. तेरह लाख पचास हजार मात्र) रू. 1,00,000/- (रू. एक लाख मात्र)	05-08-2026 प्रातः 10:00 से दोपहर 03:00 बजे	03-08-2026 सायं 04:00 बजे तक	श्री कैलाश शर्मा, मो. 9214089244 kailash.sharma1@hdfc.bank.in
		2. प्लॉट जो खसरा नं. 651, राम नगर कॉलोनी, भूदोली रोड, रेलवे क्रॉसिंग के पास, नीम का थाना, सीकर-332001 में स्थित जिसका क्षेत्रफल 311 वर्गगज जो श्री श्रीराम वर्मा पुत्र श्री साधु राम के नाम से है। सीमाएं:- पूर्वः प्लॉट नं. ए-5, पश्चिमः सड़क, उत्तरः सड़क, दक्षिणः प्लॉट नं. बी-4			रू. 76,00,000/- (रू. छिहत्तर लाख मात्र) रू. 7,60,000/- (रू. सात लाख साठ हजार मात्र) रू. 1,00,000/- (रू. एक लाख मात्र)			

नियम व शर्तें:- 1. ई-नीलामी "जहां है, जैसी है, जो कुछ भी है, बिना संसाधनों" के आधार पर आयोजित की जाएगी। 2. इच्छुक बोलीदाता लॉगिन आईडी व पासवर्ड के माध्यम से वेब पोर्टल: https://www.bankeauctions.com (लॉगिन आईडी व पासवर्ड अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत कर निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते है) के माध्यम से अपना ईएमडी विवरण और दस्तावेज जमा करा सकते है। ईएमडी खाता: 57500000904261, खाते का नाम: DFSO TRANSITORY ACCOUNT, लाभार्थी का नाम: एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईएफएससी कोड: HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा अथवा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड खाता: 57500000904261 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट जरिये उपरोक्त तालिका में वर्णित दिनांक को सांय 04 बजे से तक अथवा इससे पूर्व भुगतान करना होगा। कृपया ध्यान रहे कि संपत्तियों की ईएमडी चेक द्वारा स्वीकार नहीं होगी। 3. इच्छुक बोलीदाताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि नीलामी में शामिल संपत्ति से संबंधित सभी मामलों/शिकायतों (यदि कोई हो), जो किसी अदालत/न्यायाधिकरण/फोरम/वैध निकाय/सरकारी एजेंसियों के समक्ष दायर की गई हैं, की जानकारी प्राप्त करें और बोली जमा करने से पहले इस बारे में स्वतंत्र रूप से जांच करें। 4. इच्छुक बोलीदाताओं से केवाईसी दस्तावेज यानी पैन कार्ड, पहचान का प्रमाण/पता प्रमाण (केवाईसी) अर्थात मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित प्रति और सत्यापन के लिए उनकी मूल प्रति की प्रति जमा करने का भी अनुरोध किया जाता हैं। 5. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, संपत्ति पर संपत्ति कर, सोसायटी शुल्क आदि जैसे कोई भी भार/वैधानिक बकाया नहीं है। हालाँकि बैंक किसी भी बकाया वैधानिक बकाया/भार/नगर निगम बकाया/बिजली बकाया/लीज किराया, पानी का बकाया, संपत्ति कर, शुल्क/कर बकाया सहित किसी भी तीसरे पक्ष के दावे आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यदि कोई हो और यह क्रेता की जिम्मेदारी होगी और क्रेता स्वतंत्र रूप से इसकी जांच कर सकता है। 6. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक (14.02.2024- श्री साई कृपा केमिकल्स), (16.06.2023- स्विफ्ट प्रोजेक्ट्स) और (16.03.2026- श्री इलेक्ट्रॉनिक्स) को ले लिया गया है। 7. इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्तियों के स्वामित्व, स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए और स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट होना चाहिए। संपत्ति का निरीक्षण उपर्युक्त तिथि पर सख्ती से किया जा सकता है। 8. इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होंने ईएमडी जमा की होगी और जिन्हें लॉगिन आईडी व पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, निविदा जमा करने में किसी सहायता ई-निविदाकरण प्रक्रिया पर प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो वे मैसर्स सी 1 इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 68, तृतीय तल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा- 122003, हेल्पलाईन नं.: 0124-4302020/21/22/23/24, श्री भाविक पांड्या मोबाइल: 9974887668 / 8866682937, (Gujarat@c1india.com), हेल्पलाईन ईमेल: support@bankeauctions.com पर सम्पर्क कर सकते है और संपत्ति से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए उपरोक्त वर्णित प्राधिकृत अधिकारी से कार्यदिवसों में कार्यालय समय (प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे) के दौरान सम्पर्क कर सकते है। 9. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इस नीलामी/बोली को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अनुमोदन के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त सभी या किसी भी प्रस्ताव/बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। यदि उच्चतम बोली लगाने वाला सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों सहित बिक्री/नीलामी के नियमों और शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्राधिकृत अधिकारी अपने विवेक पर दूसरे उच्चतम बोली लगाने वाले की बोली स्वीकार कर सकता है, लेकिन दूसरा सबसे ऊंची बोली लगाने वाला इसे अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है। 10. बिक्री के विस्तृत नियम व शर्तों के लिए कृपया www.hdfc.bank.in एवं www.bankeauctions.com का संदर्भ लेवें।

दिनांक: 27 जून, 2026 स्थान: जयपुर — प्राधिकृत अधिकारी (कैलाश शर्मा), एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

यूको बैंक UCO BANK A Govt. of India Undertaking

अंचल कार्यालय अजमेर, प्लॉट नंबर सी-113 और 114, बीके कौल नगर, अजमेर 305001 ईमेल- zoajmer.rec@uco.bank.in

[नियम 8(6)] अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियो के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस। आम लोगो को और विशेष रूप से उधार लेने वाले और ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा **यूको बैंक**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर ई-नीलामी द्वारा निम्नलिखित ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार के बकायों एवं ब्याज एवं खर्चों की वसूली हेतु विक्रय किया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है:-

ई-नीलामी की दिनांक और समय: 18.07.2026 को दोपहर 01.00 बजे से शाम 5:00 बजे तक। संपत्ति निरीक्षण की दिनांक: 16.07.2026 व 15.07.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य

प्रतिभूत आस्तियों का विवरण

क्र. सं.	ऋणी और जमानतदार का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की सूचना	बकाया राशि
1.	ऋणी: मैसर्स शंकर दूध डेयरी (प्रोप. श्री विश्राम पुत्र श्री शंकर लाल) गारंटर: श्री विश्राम पुत्र श्री शंकर लाल, श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री विश्राम; शाखा: माकड़वाली, संपर्क: सुश्री अपर्णा गोयल, वरिष्ठप्रबंधक; फ़ोन: 9540816736	श्री विश्राम कुमावत पुत्र श्री शंकर लाल और श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री विश्राम के नाम से औद्योगिक संपत्ति जो खसरा नंबर 1591/1, देवगढ़ रोड, ग्राम थांवला, जिला-नागौर राजस्थान में स्थित है और कुल क्षेत्रफल 2874.53 वर्गमीटर है। संपत्ति की सीमाएं:- उत्तर: सड़क, दक्षिण: अन्य भूमि, पूर्व: खसरा नंबर 1592/2, पश्चिम: खसरा नंबर 1591, वर्तमान कब्जा प्रकार: सांकेतिक। ज्ञात ऋणभार का विवरण: ज्ञात नहीं।	रू. 1,30,00,000/- / रू. 13,00,000/- ; ईएमडी जमा अंतिम तिथि: 16.07.2026	07.07.2022 ; बोली वृद्धि राशि- रू. 10000/-	18.10.2022	04.11.2025 को बकाया राशि (1) रु. 1,01,05,791.68 (खाता सं. 31890610001400) (27.02.2022 तक ब्याज सहित) (2) रु. 19,20,997.69 (खाता सं. 31890510001530) (31.05.2022 तक ब्याज सहित) (3) रु. 53,58,656.33 (31890610002148) (27.02.2022 तक ब्याज सहित) (4) रु. 0.00 (खाता सं. 31890610003510), (5) रु. 30,00,000.00 (खाता सं. 31890610003763) (30.05.2022 तक ब्याज सहित); कुल रु. 2,03,85,445.70 + आगे का ब्याज पूर्ण भुगतान की तिथि तक एवं अन्य व्यय सहित यूको बैंक को देय।
2.	ऋणी: मैसर्स अग्रवाल एंटरप्राइजेज प्रोप.- श्री गिरीश अग्रवाल पुत्र श्री शिव कुमार अग्रवाल गारंटर: श्री योगेश कुमार, श्री गिरीश अग्रवाल पुत्र श्री शिव कुमार अग्रवाल; श्रीमती हेमलता अग्रवाल पत्नी श्री शिव कुमार अग्रवाल। शाखा: रामगंज मंडी; संपर्क: श्री अवनिश लांबा, वरिष्ठप्रबंधक; फोन: 7976013460	श्री गिरीश अग्रवाल पुत्र श्री शिव कुमार अग्रवाल के नाम पर आवासीय मकान, जो प्लॉट नं. 01, खसरा नं. 57, गोवर्धन पुरा, ग्राम-रामगंज मंडी, जिला- कोटा-326519 राज. में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1041.00 वर्गफुट है। संपत्ति की सीमाएं:- उत्तर: रिषभ कॉलोनी प्लॉट, दक्षिण: प्लॉट नं. 02, पूर्व- कॉलोनी रोड 30 फीट चौड़ी, पश्चिम- परवती/पूर्णिमा नगर प्लॉट वर्तमान कब्जा प्रकार: सांकेतिक ज्ञात भारों का विवरण: ज्ञात नहीं	रू. 38,00,000/- / रू. 3,80,000/- ; ईएमडी जमा अंतिम तिथि: 16.07.2026	22.11.2022 ; बोली वृद्धि राशि- रू. 10000/-	15.02.2023	रु. 27,32,213.73 (23410510002049) 04.12.2025 तक (30.09.2022 तक ब्याज सहित) और रु. 2,67,877.83 (23410610004388) 04.12.2025 तक (29/09/2022 तक ब्याज सहित) और रु. 2,03,748.94 (23410610005934) 04.12.2025 तक (29.09.2022 तक ब्याज सहित) पूर्ण भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य व्यय सहित यूको बैंक को देय। रु. 3,51,929.76 (23410610000588) 04.12.2025 तक (30.05.2022 तक ब्याज सहित) और रु. 7,02,899.68 (23410610001691) 04.12.2025 तक (29.06.2022 तक ब्याज सहित) + आगे का ब्याज पूर्ण भुगतान की तिथि तक एवं अन्य व्यय सहित यूको बैंक को देय। कुल बकाया रु. 42,58,699.91

नियम और शर्तें:- 1. बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। बिक्री की विस्तृत नियम और शर्तें निम्नलिखित वेबसाइटों / वेब पोर्टल पर उपलब्ध / प्रकाशित हैं: i) https://baanknet.com/ ii) https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration 2. संपत्ति 'जैसी है जहाँ है' और 'जैसी है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जा रही है। 3. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 4. बिक्री वेबसाइट https://baanknet.com/ पर दिनांक 18.07.2026 से दोपहर 01.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। । 5. बैंक के लिए यह स्वतंत्रता है कि वह अपना प्रतिनिधि नियुक्त करे, स्वयं बोली लगाए तथा नीलामी में भाग ले।

दिनांक: 25.06.2026 स्थान: अंचल कार्यालय, अजमेर — प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

सरफेसी अधिनियम के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना